शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या- 61/**2017/1798/33-3-2017-114/2012**

प्रेषक,

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक- **14** अगस्त, **2017**

विषय: प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्राथमिकता पर विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम में साफ-सफाई एवं सार्वजनिक स्वच्छता एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्षा ऋतु में ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के अभाव में बीमारियॉ फैलने का खतरा रहता है जिससे समुदाय के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गॉव की आन्तरिक गलियों एवं आसपास की गंदगी, गोबर, कूड़ा-करकट, मिट्टी बहकर नालियों में पहुंच जाने से नालियां अवरूद्ध हो जाती हैं, जिससे न सिर्फ आवागमन बाधित होता है अपितु कीचड़ एवं गंदगी से वेक्टर जनित रोगों के फैलने का खतरा रहता है।

अत: उक्तानुसार परिस्थितियों की रोकथाम एवं निदान हेतु प्रदेश में दिनांक **17** से **25** अगस्त, **2017** के मध्य विशेष सफाई अभियान चलाकर वेक्टर जनित रोगों से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के निर्देश निर्गत किये जाते हैं। विशेष सफाई अभियान दो चरणों में निम्नलिखित रूप से चलाया जायेगा-

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक **17** से **25** अगस्त, **2017** को सफाई अभियान।
2. एक्यूट इंसेफलाइटिस सिन्ड्रोम/जापानी इंसेफलाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित **13** जनपदों- गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी में दिनांक **25** अगस्त, **2017** के बाद भी दिनांक **30** अगस्त, **2017** तक सफाई अभियान जारी रहेगा।

विशेष सफाई की अवधि में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवायी सुनिश्चित की जाय:-

1. उपरोक्त तिथियों में समस्त जनपदों में विस्तृत कार्ययोजना के तहत न्याय पंचायत में तैनात सभी सफाईकर्मियों का ग्राम पंचायतवार **2** से **5** दिन का रोस्टर बनाकर बन्द नालियों, गन्दी गलियों, हैण्डपम्पों के चारो ओर, अन्य पेयजल स्रोतों के आस-पास एवं तालाब के इन्लेट की सफाई हेतु विशेष दायित्व निर्धारण किया जाय। साथ ही खराब पड़े हैण्डपंपों के मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता से ठीक कराया जाए। इसमें गॉवों में कूड़े एवं गोबर के ढेर आदि को भी निस्तारित किया जाए। यदि किसी ग्राम पंचायत में अभियान के दौरान सफाईकर्मियों के संख्या में कमी पायी जाती है तो ग्राम पंचायत अन्य श्रमिकों की सहायता लेकर योजनानुसार निर्धारित समय में अभियान पूर्ण करा सकती है। इस अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) अभियान को सम्मिलित करते हुए व्यक्तिगत

http://shasnadeshup.nic.in

शौचालय के निर्माण एवं उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके क्रियान्वयन का दायित्व पंचायती राज विभाग का होगा।

2. समस्त ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान ग्राम्य स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक में ग्राम सभा के विभिन्न मजरों में स्वच्छता की स्थिति पर चर्चा की जाये। इसमें कूड़े का निस्तारण, जल भराव वाले गड्ढ़े एवं नालियों की सफाई, शौचालयों की सफाई एवं प्रयोग तथा सामुदायिक सम्पर्क कर जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाये।

3. अभियान के दौरान स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु पीने वाले पानी के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाये एवं हैण्डपम्पों के चारों ओर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। मच्छरों को बढ़नें व पैदा न होने देने हेतु रूके हुए पानी में लार्वा को नष्ट करनें वाली दवा का छिड़काव कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. ग्राम सभा में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, मच्छरदानी का उपयोग आदि के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दीवाल लेखन, समूह बैठक, स्कूली बच्चों की रैली आदि का आयोजन किया जायेगा। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किये गये ब्राशर, लीफलेट एवं प्रचार सामग्रियों का उपयोग कर समुदाय को जागरुक किया जाये। साथ ही क्लोरीन टैबलेट का वितरण भी सुनिश्चित् किया जाए। बिन्दु सं**0 2, 3, 4** हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग संयुक्त रूप से उत्तरदायी विभाग होगें।

5. ग्राम पंचायत द्वारा अपशिष्ट पदार्थो के सुरक्षित निपटारे, कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण घरेलू कूड़े का एकत्रण व सुरक्षित निपटान एवं सोख्ता चैनलों/गड्ढों के निर्माण का कार्य, अभियान की अवधि में चलाया जाये। आबादी की नालियों का पानी तालाब तक या नाले तक पहुँचाने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित् की जाएगी, अगर नालियों पर आबादी के अतिक्रमण की वजह से जल भराव की समस्या है तो पुलिस प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए।

6. इसके साथ ही जनपदों में पॉलिथिन पर प्रतिबंध के शासन द्वारा निर्गत आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।

7. उक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुश्रवण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक जिम्मेदार अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए रोस्टर निर्गत किया जाये।

8. समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं व सामुदायिक संस्थाओं का सहयोग लेते हुए अभियान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अभियान अवधि में विशेष सफाई अभियान के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रगति आख्या दिनांक **28** अगस्त, **2017** तक निदेशक, पंचायती राज विभाग की ई-मेल **rgsa.up@gmail.com** पर उपलब्ध कराना एवं अभियान अवधि की फोटोग्राफ को पंचायती राज विभाग के फेसबुक पेज पर जनपदवार फोल्डर विकसित करते हुए अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग /वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

4- शासन द्वारा नामित समस्त नोडल अधिकारी, उ0प्र0 शासन को इस आदेश के साथ कि अपने रात्रि प्रवास की अवधि में जनपदों में विशेष सफाई अभियान संबंधी आदेशों का अनुश्रवण एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in